न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022/93 दायरा तिथि: 16.03.2022:
प्रार्थी :–
श्री अचलाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल
निवासी जाणा तहसील सुमेरपर जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 52/2021 GCMS NO. 2021/329 दायरा तिथि: 01.10.2021
प्रार्थी :–
श्री हस्तीमल पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी बेडा जरिये आम मुख्यारनामा
श्री महेन्द्रपालसिंह पुत्र सूरजभानसिंह जाति राजपूत प्रतिस्थापित दुष्यन्तसिंह पुत्र सूरमानसिंह राणावत
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 4-5-2022

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 32 रकबा 1.66 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि एवं ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 2695/30 रकबा 0.7150 हैक्टर की भूमियो में आवागन के लिये रेकर्डेड रास्ते उपलब्ध नहीं होने से अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये **राजकीय सिवाय चक** भूमि ग्राम **बेडा प्रथम** तहसील बाली के खसरा नंबर 71, 72, 73/4777 किस्म बारानी दोयम मेंसे एवं निजी खातेदार रामचन्द्र पुत्र अमराजी जाति मेघवाल नि. नोसल की खातेदारी भूमि बेडा प्रथम के खसरा नंबर 2694/30 की भूमियों में नवीन रास्ते की मांग की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रो के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही निजी खातेदार रामचन्द्र पुत्र अमराजी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/975 दिनांक 06.04.2022 से प्रकरण संख्या 2022/93 अचलाराम बनाम तहसीलदार, बाली में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम **बेडा प्रथम के** खसरा नंबर 2695/30 रकबा 0.7150 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र गणेशाराम निवासी जाणा तहसील सुमेरपुर के नाम दर्ज हैं। खातेदार की धारित भूमि मे आवागन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। एवं पुर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र रामचन्द्र पुत्र अमराजी मेघवाल के द्वारा खसरा नंबर 2694/30 रकबा 2.1450 हैक्टर की भूमि में नया मार्ग हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। जिसमें प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 73/4777 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि मेंसे 47X9.15=430 वर्गमीटरभूमि रास्ते हेतु पूर्व में प्रस्तावित की गई।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	73/4777	0.16 हैक्टर	बारानी दोयम	47X9.15=430 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
2	72	0.54 हैक्टर	बारानी दोयम	152X9.15=1391वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
3	2694/30	2.1450 हैक्टर	बारानी दोयम	16X9.15=146 वर्गमीटर	रामचन्द्र पुत्र अमराजी मेघवाल निवासी नोसल जिला अजमेर

3. प्रस्तावित भूमि **ग्राम बेडा** की डी.एल.सी. दर 554670/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

पेज लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022/93 अनवान अचलाराम बनाम तहसीलदार, बाली
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 52/2021 GCMS NO. 2021/329 अनवान दुष्यन्तसिंह बनाम तहसीलदार बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 2021/329 में तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/659 दिनांक 08.03.2022 से भी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1.ग्राम **बेडा प्रथम के** खसरा नंबर 32 रकबा 1.66 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की खातेदारी भूमि श्री दुष्यन्तसिंह राणावत पुत्र सूरजमानसिंह जाति राजपुत निवासी बाली के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। खातेदार की धारित भूमि मे आवागन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। तथा वर्तमान में आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ते का उपयोग किया जा रहा है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	73/4777	0.16 हैक्टर	बारानी दोयम	48X 6=288 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
2	2694/30	2.1450 हैक्टर	बारानी दोयम	8X 6=48वर्गमीटर	रामचन्द्र पुत्र अमराजी जाति मेघवाल नि. नोसल अजमेर
2	72	0.54 हैक्टर	बारानी दोयम	108X 6=648वर्गमीटर 30X 6=180वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
3	71	0.42 हैक्टर	बारानी दोयम	32X 6=180वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक

3. प्रस्तावित भूमि **ग्राम बेडा** की डी.एल.सी. दर 554670/- रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में हितबद्ध निजी खातेदार रामचन्द्र पुत्र अमराजी मेघवाल को रजिस्टर्ड डाक से भेजे नोटिस के तामीली स्टेट्स के अनुसार निजी खातेदार रामचन्द्र को रजिस्टर्ड डाक से भेजा नोटिस डिलिवर्ड होने के बावजुद वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से रामचन्द्र के विरूद्ध दिनांक 18.04.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये प्रकरणो में तहसीलदार, बाली से न्यायालय आदेश की अनुपालना में रिपोर्ट प्राप्त होने से तथा प्रकरण संख्या 2022/93 अचलाराम बनाम सरकार एवं प्रकरण संख्या 2021/329 अनवान श्री महेन्द्रपालसिंह पुत्र सूरजभानसिंह जाति राजपूत प्रतिस्थापित दुष्यन्तसिंह पुत्र सूरभानसिंह राणावत बनाम तहसीलदार, बाली मे प्रस्तावित रास्ता एक ही रूट से होने से दोनो प्रकरणो की पत्रावलियो को समेकित करते हुये निर्णय पारित किये जाने का निर्णय लिया गया। वकील प्रार्थी पक्ष श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये दलील दी गई कि खातेदार रामचन्द्र द्वारा धारित भूमि बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 2694/30 रकबा 2.1450 हैक्टर तक पहुँच मार्ग न्यायालय आदेश दिनांक 11.04.2022 से राजकीय सिवायचक भूमि बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 73/4777 रकबा 0.16 हैक्टर मेंसे 430 वर्गमीटर का रास्ता स्वीकृत हो चुका है। जिस रास्ते की निरन्तरता मे ही निजी खातेदारी खसरा नंबर 2694/30 से होकर राजकीय सिवाय चक खसरा नंबर 72 व 71 से होते हुये अंत में दुष्यन्तसिंह पुत्र सूरभानसिंह राणावत की धारित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 32 तक का रास्ता नियमों के तहत स्वीकृत किये जाने की दलील दी गई। इस संदर्भ में न्यायालय की निर्णित पत्रावली सं0 2022/27 अनवान रामचन्द्र बनाम सरकार निर्णय दिनांक 11.04.2022 तलब की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022 के अनुसार रामचन्द्र की धारित भूमि खसरा नंबर 2694/30 तक का रास्ता स्वीकृत हो चुका है। तथा खसरा नंबर 32 रकबा 1.66 हैक्टर भूमि जिसके वर्तमान में खातेदार दुष्यन्तसिंह पुत्र सुरजभानसिंह राणावत राजपुत निवासी बाली है, उनकी भूमि तक पहुँच के लिये तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/2022/659 दिनांक 08.03.2022 में वर्णित रूट से रास्ता स्वीकृत होने पर मुख्य सडक से खसरा नंबर 73/4777 - खसरा नंबर 2694/30--खसरा नंबर 72 खसरा नंबर 71 से होते हुये खसरा नंबर 32 में प्रवेश करेगा। प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि खसरा नंबर 73/4777 मेंसे रामचन्द्र बनाम सरकार में पारित आदेश से रास्ता स्वीकृत हो चुका है। जिससे खसरा नंबर 73/4777 मेंसे पुनः नया रास्ता स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, तथा आवेदक प्रार्थीगण भी उक्त सिवायचक रास्ते का उपयोग करेगें।

जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमाँकः प.3 (52) राज-6/ 12 /4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियो मौजा ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 32 रकबा 1.66 हैक्टर किस्म बारानी सोयम एवं बेडा प्रथम के खसरा नंबर 2695/30 रकबा 0.7150 हैक्टर में आवागमन के लिये नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि

पेज लगातार 03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022/93 अनवान अचलाराम बनाम तहसीलदार, बाली
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 52/2021 GCMS NO. 2021/329 अनवान दुष्यन्तसिंह बनाम तहसीलदार बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

का निर्धारण करते हुए तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2022/695 दिनांक 08.03.2022 में वर्णित रूट से **संलग्न नक्शा मौका में वर्णित ट्रेक से 6 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 554670/– रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2694/30	2.1450 हैक्टर	8X 6=48वर्गमीटर	55.47	**2663X2= 5326**	रामचन्द्र पुत्र अमराजी जाति मेघवाल नि. नोसल जिला अजमेर
72	0.54 हैक्टर	108X 6=648वर्गमीटर 30X 6=180वर्गमीटर	55.47	**39945X2= 71890** **9985X2= 19970**	राजकीय सिवाय चक
71	0.42 हैक्टर	32X 6=180वर्गमीटर	55.47	**9985X2= 19970**	राजकीय सिवाय चक

तहसीलदार, बाली राजकीय सिवायचक भूमि की कुल प्रतिकर राशि 1, 11, 830/–रूपये **अक्षरे एक लाख ग्यारह हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र** राजकोष में जमा की सुनिश्चितता करेगें तथा रूपये 5326/– अक्षरे पांच हजार तीन सौ छब्बीस रूपये प्रभावित निजी खातेदार को प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। निजी खातेदार द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में उक्त राशि भी तहसील कोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न मौका नक्शा आदेश का भाग माना जावेगा। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/रास्ता/2022/1134-38
दिनांकः 11-05-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा प्रथम
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रार्थीगण अचलाराम पुत्र गणेशारामजी जाति मेघवाल निवासी जाणा तहसील सुमेरपुर एवं दुष्यन्तसिंह राणावत पुत्र सूरजभानसिंह जाति राजपुत निवासी बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner